तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.सं.:– 06/2014 बअनवान प्रवेश जैन बनाम राज. राज्य जरिये तहसीलदार मारवाड जंक्शन	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
07-05-2024	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलाण्ट उपस्थित। सरकारी पैरोकार उपस्थित। रेस्पोडेन्टस संख्या 2 अनुपस्थित। पत्रावली लम्बे समय से वास्ते बहस नियत होने से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को बहस हेतु बार–बार आवाज लगवाने के उपरान्त में वक्त बहस न्यायालय में अनुपस्थित होने से अधिवक्ता अपीलाण्ट एवं सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 ने तहसीलदार मारवाड जंक्शन के समक्ष सीमांकन करने का प्रार्थना पत्र पेश कर मौजा जाडन खालसा के खसरा नम्बर 101 रकबा 0.6426 हैक्टर खसरा नम्बर 104 रकबा 0.6071 हैक्टर कुल रकबा 1.2497 हैक्टर की खातेदारी भूमि पर प्रार्थीगण द्वारा किये गये अवैध अतिक्रमण को हटाकर कब्जा सुपूर्द करने का निवेदन किया था। जिसके सम्बन्ध में मौका फर्द दिनांक 16.07.2014 के अनुसार मौके पर खसरा नम्बर 101 में बारिश होने से पानी का भराव व दलदली भूमि होने से तथा आसपास में कोई मुस्तगिल बिन्दु कायम नहीं होने से सही सीमांकन सम्भव नहीं हुआ। तहसीलदार ने अपने निर्णय में पुनः सीमांकन करवाये जाने का अंकन किया है जबकि मौका रिपोर्ट में लिखे तथ्यों व स्थिति अनुसार पुनः सीमांकन का कोई अंकन नहीं है लिहाजा तहसीलदार मारवाड जंक्शन के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.07.2014 को खारिज फरमावे। सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश से सम्बधित भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 27.08.2014 के माध्यम से हरजी पुत्र मुलाराम जाति रैगर को विक्रय की जा चुकी है। विक्रय विलेख के पृष्ठ संख्या 3 की शुरूआती पक्तियों में अंकित है कि वादग्रस्त भूमि का आधिपत्य रेस्पोडेन्ट	

अति. जिला कलक्टर, पाली

संख्या 2 के पास ही था तथा वर्तमान में उक्त भूमि का कब्जा क्रेता को सुपूर्द कर दिया गया है। अतः उक्त अपीलाधीन आदेश निष्प्रभावी हो जाने से पोषणीयता के अभाव में उक्त अपील खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अपीलाण्ट एवं सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं गहनतापूर्वक मनन किया। जैर अपील तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के प्रकरण संख्या 1/14 में पारित निर्णय दिनांक 18.07.2014 के विरूद्ध पेश की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने उक्त भूमि का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 27.08.2014 के द्वारा हरजी पुत्र मूलारामजी जाति रेगर निवासी पाली को कर दिया। उक्त विक्रय विलेख के पेज संख्या 3 में अंकितानुसार सम्पूर्ण राशि विक्रेता को प्राप्त हो गई है एवं विक्रित कृषि भूमि का कब्जा मौके पर कानूनन रूप से क्रेता को सुपूर्द कर दिया, जो क्रेता द्वारा प्राप्त कर लिया है। उक्त विक्रय विलेख में साक्ष्य अपीलाण्ट प्रवेश जैन पुत्र रोशनलाल जैन जाति जैन निवासी पाली द्वारा दी गयी। विक्रय विलेख अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.07.2014 के पश्चात किया गया है जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त विक्रय विलेख की सम्पूर्ण जानकारी अपीलाण्ट को थी एवं अपीलाण्ट की सहमति से ही अपीलाधीन आराजी का विक्रय किया गया है। इसलिए उक्त अपील Infructuous होने से न्यायालय हाजा में चलाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः उक्त अपील Infructuous होने से खारिज की जाती है तथा तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.07.2014 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

अति. जिला कलक्टर, पाली

अति जिला कलक्टर, पाली